मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

सोमवार, दिनांक 18 मार्च, 2013 (फाल्गुन 27, 1934)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.32 बजे समवेत हुई.

1. प्रश्नोत्तर

अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रथम प्रश्नकर्ता सदस्य का नाम पुकारा गया किन्तु सदन में अत्यधिक व्यवधान के कारण आज प्रश्नकाल नहीं हो सका । प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 107 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 119 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2. कांग्रेस पक्ष द्वारा दतिया में एक विदेशी महिला पर्यटक के साथ हुई घटना के विरोधस्वरूप गर्भगृह में प्रदर्शन किया जाना

दतिया में एक विदेशी महिला पर्यटक के साथ हुई घटना के विरोधस्वरूप, कांग्रेस पक्ष के सदस्यगण द्वारा काले कपड़े पहन कर गर्भगृह में प्रवेश कर चर्चा की मांग एवं नारेबाजी की गई । श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री (सदन के नेता) द्वारा शासन की ओर से इस घटना पर प्रतिपक्ष की ओर से प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराने के लिए सहमति व्यक्त की गई । अध्यक्ष महोदय द्वारा कांग्रेस पक्ष के सदस्यों से प्रश्नकाल चलने देने हेतु अनुरोध किया गया किन्तु व्यवधान एवं शोरगुल से प्रश्नकाल बाधित होने के कारण, अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की कार्यवाही आधे घण्टे के लिए स्थगित की गई ।

(10.37 बजे कार्यवाही स्थगित की जाकर 11.07 बजे पुन: समवेत हुई ।)

अध्यक्ष महोदय द्वारा कांग्रेस पक्ष के सदस्यगण से पुन: अनुरोध किया गया कि जब सरकार स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के लिए तैयार है तो इसे स्वीकार करना चाहिए किन्तु कांग्रेस पक्ष के सदस्यगण द्वारा गृह मंत्री के इस्तीफे के बाद चर्चा कराने की मांग की गई । सदन में अत्यधिक व्यवधान एवं नारेबाजी के कारण, अध्यक्ष महोदय द्वारा कार्यवाही 11.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

(11.08 बजे कार्यवाही स्थगित की जाकर 11.33 बजे पुन: समवेत हुई ।)

अध्यक्ष महोदय द्वारा कांग्रेस पक्ष के सदस्यों से अपने आसनों पर वापस जाने के निर्देश दिये गये, किन्तु वे गर्भगृह में रहकर ही, नारेबाजी करते रहे । लगातार व्यवधान एवं शोरगुल के वातावरण में, सदन की आगामी कार्यवाही जारी रही ।

3. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) श्री पारस सकलेचा, सदस्य की प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा संविदा कर्मचारियों को नियमित किये जाने,

(2) श्री रामनिवास रावत, सदस्य की विजयपुर में स्वरोजगार योजना के तहत बैंक द्वारा ऋण प्रदाय न किये जाने,

(3) श्री गिरिराज किशोर पोद्दार, सदस्य की कटनी नगर निगम क्षेत्र में अतिक्रमण होने,

(4) श्री प्रेमनारायण ठाकुर, सदस्य की छिन्दवाड़ा जिले में अमरवाड़ा स्थित अस्पताल की लिफ्ट बंद होने,

(5) श्री आरिफ अकील, सदस्य की भोपाल शहर में गैस पीड़ित क्षेत्र की बस्तियों में पेयजल संकट होने,

(6) श्री नारायण प्रजापति, सदस्य की बण्डा क्षेत्र की अनेक सड़कों की हालत जर्जर होने,

(7) श्री परसराम मुदगल, सदस्य की मुरैना जिले की कई बस्तियों में पानी का भराव होने,

(8) श्री रामदयाल अहिरवार, सदस्य की छतरपुर जिले के ग्राम प्रकाश बम्हौरी में ओला वृष्टि से हुई फसल हानि का मुआवजा न मिलने,

(9) डॉ. (श्रीमती) विनोद पंथी, सदस्य की बीना की खिमलासा मंडी का गोदाम अधूरा होने तथा

(10) श्री ध्रुवनारायण सिंह, सदस्य की भोपाल शहर के प्रोजेक्ट्स में लाखों रूपये खर्च करने पर भी कार्य ठीक से न होने,

संबंधी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ी मानी गईं।

4. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने वित्तीय वर्ष 2012-13 की प्रथम छ:माही के दौरान बजट से संबंधित आय और व्यय की प्रवृत्तियों का छ:माही समीक्षा विवरण पटल रखा ।

(2) श्री गोपाल भार्गव, सामाजिक न्याय मंत्री ने आयुक्त नि:शक्तजन मध्यप्रदेश का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2011-12 पटल पर रखा।

5. ध्यान आकर्षण

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से नियम (138) (3) को शिथिल करके, आज की कार्यसूची में उल्लेखित 6 ध्यानाकर्षण सूचनाएं लिये जाने सम्बन्धी घोषणा की गई। किन्तु सदन में अत्यधिक व्यवधान के कारण निम्नलिखित ध्यानाकर्षण की सूचनाएं प्रस्तुत नहीं की गई -

(1) डॉ. कल्पना परूलेकर एवं श्री राजवर्धन सिंह, सदस्यगण की भोपाल में भूमि की अवैध बिक्री होने की शिकायत पर पुलिस द्वारा कार्यवाही न की जाना,

(2) सर्वश्री पारस सकलेचा, यशपाल सिंह सिसोदिया एवं चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, सदस्यगण की रतलाम स्थित सज्जन मिल के श्रमिकों के स्वत्वों का भुगतान न होना,

(3) श्री जसवन्त सिंह हाड़ा, सदस्य की शुजालपुर से सारंगपुर सड़क मार्ग का कार्य अपूर्ण होना,

(4) श्री चंपालाल देवड़ा, सदस्य की देवास जिले के महीगांव बांध की नहर क्षतिग्रस्त होना,

(5) श्री रमेश भटेरे, सदस्य की बालाघाट जिले के लांजी क्षेत्र के सार्वजनिक स्थलों से शराब की दुकान न हटाई जाना।

(6) व्यवधान के दौरान, श्रीमती शशि ठाकुर, सदस्य द्वारा सिवनी जिले के ग्राम पंचायत धूमा निवासी दम्पत्ति की हत्या होने सम्बन्धी ध्यानाकर्षण की सूचना पढ़ी गई। श्री उमाशंकर गुप्ता, गृह मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

6. प्रतिवेदन की प्रस्तुति

श्री रामखेलावन पटेल, सदस्य ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति का अठारहवां कार्यान्वयन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

7. याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार, दैनिक कार्यसूची में उल्लिखित सदस्यों की याचिकाएं प्रस्तुत हुई मानी गईं:-

(1) डॉ. (श्रीमती) विनोद पंथी (जिला-सागर)
(2) श्री पुरुषोत्तम दांगी (जिला-राजगढ़)
(3) श्री हेमराज कल्पोनी (जिला-राजगढ़)
(4) श्री हितेन्द्र सिंह सोलंकी (जिला-पश्चिम निमाड़, खरगोन)
(5) श्री पारस सकलेचा (जिला-रतलाम)

8. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री गोपाल भार्गव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 3 सन् 2013) सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया।

(2) श्री कैलाश विजयवर्गीय, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार मंत्री ने मध्यप्रदेश निवेश क्षेत्र विकास और प्रबन्ध विधेयक, 2013 (क्रमांक 6 सन् 2013) सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया।

(3) श्री राघवजी, वाणिज्यिक कर मंत्री ने मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 7 सन् 2013) सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया।

(4) श्री राघवजी, वाणिज्यिक कर मंत्री ने मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 8 सन् 2013) सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया।

(5) श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) पर विचार किया जाय।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरान्त)

श्री राघवजी ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।

9. सम्पत्ति विवरण पटल पर रखा जाना

श्री नागेन्द्र सिंह, लोक निर्माण मंत्री द्वारा अपना एवं परिवार की सम्पत्ति का विवरण सदन के पटल पर रखा गया।

10. कार्य मंत्रणा समिति के प्रतिवेदन की प्रस्तुति एवं स्वीकृति

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक सोमवार, दिनांक 18 मार्च, 2013 को सम्पन्न हुई, जिसमें निम्नलिखित शासकीय विधेयकों पर चर्चा हेतु उनके सम्मुख अंकित समय निर्धारित करने की सिफारिश की गई है :-

क्रमांक	शासकीय विधेयक	आवंटित समय
(1)	मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 3 सन् 2013)	2 घन्टे
(2)	मध्यप्रदेश निवेश क्षेत्र विकास और प्रबंध विधेयक, 2013 (क्रमांक 6 सन् 2013)	2 घन्टे
(3)	मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 7 सन् 2013)	30 मिनट
(4)	मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 8 सन् 2013)	30 मिनट
(5)	मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) संशोधन विधेयक, 2013 (क्रमांक 9 सन् 2013)	1 घण्टा
(6)	मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 10 सन् 2013)	1 घन्टा
(7)	मध्यप्रदेश वृत्तिकर (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 11 सन् 2013)	30 मिनट
(8)	मध्यप्रदेश जल विनियमन विधेयक, 2013	1 घण्टा

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि अभी अध्यक्ष महोदय ने जिन कार्यों पर चर्चा के लिए समय निर्धारण करने के संबंध में कार्य मंत्रणा समिति की जो सिफारिशें पढ़ कर सुनाई, उन्हें सदन स्वीकृति देता है।

प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

पूर्वाह्न 11.45 बजे विधान सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 19 मार्च, 2013 (फाल्गुन 28, 1934) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल :
दिनांक : 18 मार्च, 2013